

संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, छत्तीसगढ़

इन्द्रवती भवन, खण्ड-4, प्रथम एवं द्वितीय तल, नया रायपुर छत्तीसगढ़ - 492002
फोन: 0771 - 2412840, 44, 45, फैक्स: 0771 - 2412841, 2412849 Email: dgm.cg@nic.in

क्रमांक 5479 / खनि 1 / न.क्र. 47 / 2011,

नया रायपुर, दिनांक

// आदेश //

6 OCT 2015

भारत सरकार की अधिसूचना क्रमांक फा. सं. 5/1/2015-एम. VI, दिनांक 10 फरवरी 2015 द्वारा 31 मुख्य खनिजों को गौण खनिज घोषित किया गया है। छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 के नियम 27 का प्रयोग करते हुये उक्त खनिजों के माइनिंग प्लान अनुमोदन के अधिकार इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 2690, दिनांक 14 मई 2015 द्वारा अपर संचालक/संयुक्त संचालक को प्रदत्त किये गये हैं।

इसी अनुक्रम में छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के अनुसूची एक के भाग ख में विनिर्दिष्ट खनिजों के उत्खनन योजना के अनुमोदन हेतु निम्नलिखित पदेन अधिकारियों को संबंधित जिलों के लिये अधिकृत किया जाता है :-

स. क.	अपर संचालक, संचालनालय	संयुक्त संचालक (भौमिकी), संचालनालय	संयुक्त संचालक (ख.प्र.)(I), संचालनालय	संयुक्त संचालक (ख.प्र.)(II), संचालनालय	क्षेत्रीय प्रमुख रायपुर	क्षेत्रीय प्रमुख बिलासपुर	क्षेत्रीय प्रमुख जगदलपुर
1	2	3	4	5	6	7	8
1	रायपुर	बेमेतरा	बिलासपुर	रायगढ़	दुर्ग	सरगुजा	बस्तर
2	बलौदाबाजार	राजनांदगांव	मुंगेली	जांजगीर-चांपा	गरियाबंद	सूरजपुर	दंतेवाड़ा
3		बालोद		कोरबा	धमतरी	बलरामपुर	सुकमा
4		जशपुर			महासमुन्द	कोरिया	बीजापुर
5							कांकेर
6							कोंडागांव
7							नारायणपुर

उपरोक्त पदों पर पदस्थ संबंधित अधिकारियों द्वारा माइनिंग प्लान/माइनिंग स्कीम का अनुमोदन किया जायेगा।

संचालक
भौमिकी तथा खनिकर्म

पृ. क्रमांक 5480-86/खनि 1/न.क्र. 47/2011,

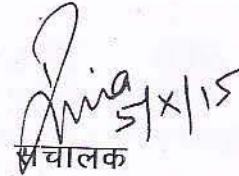
नया रायपुर, दिनांक

प्रतिलिपि:-

6 OCT 2015

1. अपर संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नया रायपुर,
2. संयुक्त संचालक (भौमिकी), संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नया रायपुर,
3. संयुक्त संचालक (ख.प्र.) (I), संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नया रायपुर,
4. संयुक्त संचालक (ख.प्र.) (II), संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नया रायपुर,
5. क्षेत्रीय प्रमुख, क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर, सोनाखान भवन, तेलीबांधा रायपुर,
6. क्षेत्रीय प्रमुख, क्षेत्रीय कार्यालय, बिलासपुर,
7. क्षेत्रीय प्रमुख, क्षेत्रीय कार्यालय, जगदलपुर,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


संचालक

भौमिकी तथा खनिकर्म